रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 337] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 15, 1996/आश्विन 23, 1918
No. 337] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 15, 1996/ASVINA 23, 1918

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY No. Date GOVT OF INDIA

## सूचना और प्रसारण मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 1996

**सा.का.नि. 473(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए आकाशवाणी में समाचार प्रवाचक-सह-अनुवादक के समूह ''क'' पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम :** आकाशवाणी समूह ''क'' (समाचार-प्रवाचक सह-अनुवादक श्रेणी-II) भर्ती नियम, 1996 है ।

(2) ये 10 जनवरी 1995 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि :** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता :** वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

[सं. 21/1/94-एस. 8/बी.ए.]

वी.के. मजोत्रा, अपर सचिव

## स्पष्टीकारक ज्ञापन

आकाशवाणी समूह ''क'' (समाचार प्रवाचक-सह-अनुवादक श्रेणी-II) भर्ती नियमों को भूतलक्षी प्रभाव दिया जा रहा है जिससे कि ओ. ए. सं॰ 956/1994 में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेश, तारीख 04.09.1995 के अनुसार, समाचार प्रवाचक-सह-अनुवादक श्रेणी-III को 100% प्रोन्नति का फायदा दिया जा सके। यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा | सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा। अनुज्ञेय है या नहीं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| समाचार प्रवाचक-सह-अनुवादक श्रेणी-II | 60* | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ''क'' राजपत्रित अननुसचिवीय | 3000-100-3400-125-4500 रु. | चयन | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

*1996 कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। |
|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | 2 वर्ष |

| भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा। |
|---|---|
| 11 | 12 |
| **प्रोन्नति**<br>ऐसे अधिकारी जो समाचार प्रवाचक-सह-अनुवादक का पद पहले से ही नियमित आधार पर धारण किए हुए हैं और जिन्हें इन भर्ती नियमों को अधिसूचित की जाने की तारीख को नियमित सरकारी सेवक माना गया है, प्रारंभिक गठन के प्रक्रम पर इस पद पर नियुक्त किए गए समझे जाएंगे। | **प्रोन्नति**<br>ऐसे समाचार प्रवाचक-सह-अनुवादक श्रेणी-III में से प्रोन्नति जिसने उस श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की है। |

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
|---|---|
| 13 | 14 |
| **समूह ''क'' विभागीय प्रोन्नति समिति**<br>1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष<br>2. महानिदेशक (समाचार) समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी—सदस्य<br>3. उप महानिदेशक (प्रशासन) महानिदेशालय आकाशवाणी—सदस्य<br>4. निदेशक/उप सचिव (प्रसारण प्रशासन) सूचना और प्रसारण मंत्रालय—सदस्य | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। |

## MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING
## NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 1996

**G.S.R. 473(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'A' posts of Newsreader-cum-Translators, in the all India Radio, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the All India Radio Group 'A' (Newsreader-cum-Translator Grade-II) Recruitment Rules, 1996.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 10th January, 1995.

2. Number of post, classification and scale of pay :—The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc. :— The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from operation of this rule.

5. Power to relax :—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving :—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

[F. No. 27/1/94-S. VIII/B(A)]
V.K. MAJOTRA, Addl. Secy.

**EXPLANATORY MEMORANDUM**

The All India Radio Group 'A' (Newsreader-cum-Translator Grade-II) Rules are being notified retrospectively to give the benefit of 100% promotion to Newsreader-cum-Translator Grade-III as per CAT order dated 04-09-1995 in O.A. No. 956/1994. It is certified that no one would prejudicially affected by retrospective operation of these rules.

**SCHEDULE**

| Name of post | Number of posts | Classification | Scale of pay (Rs.) | Whether Selection or non-Selection post | Age limit for direct recruits | Whether benefit of added years of service admissible | Educational & other Qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Newsreader-cum-Translator Grade-II | 60* | General Central Services Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial | Rs. 3000-100-3500-125 4500. | Selection | Not applicable | Not applicable | Not applicable |

*1996 subject to variation dependent on workload.

| Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation transfer to be made |
|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 |
| Not applicable | 2 years | **Promotion:** Officers already holding the post of Newsreader-cum-Translator Grade-II on regular basis and treated as regular Government Servants on the date of notification of these recruitment rules shall be treated to have been appointed to this post at initial constitution stage. | **Promotion :** Promotion from amongst Newsreader-cum-Translator Grade-III with 8 years' regular service in the grade. |

| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment |
|---|---|
| 13 | 14 |
| **Group 'A' Departmental Promotion Committee :**<br>1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman<br>2. Director General (News), News Services Division, All India Radio—Member.<br>3. Deputy Director General (Administration), Directorate General, All India Radio—Member<br>4. Director/Deputy Secretary (Broadcasting Administration), Ministry of Information & Broadcasting—Member | Consultation with Union Public Service Commission necessary |

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996